न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2020/00130 (130/2020) 75 एलआरएक्ट

1. सरदार अली पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हनीफ पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत 1 एसटीबी तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 1 एसटीबी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ । –असल रेस्पोडेण्ट
3. मुराद अली पुत्र अब्दुल हाजी जाति मुसलमान निवासी लखुवाली तह0 व जिला हनुमानगढ।
4. हनीफ पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी लखुवाली तह0 व जिला हनुमानगढ।
5. गनी पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी लखुवाली तह0 व जिला हनुमानगढ।
6. अब्दुल मजीद पुत्र जलाल जाति मुसलमान निवासी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश आवंटन/आरक्षण/2020/530 दिनांक 23.09.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ अनवान ग्राम पंचायत 1 एसटीबी पंचायत समिति हनुमानगढ तहसील हनुमानगढ को पटवार घर व भू–अभिलेख निरीक्षक भवन हेतु भूमि आवंटन

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो सं0 3 ता 6

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः– 20.10.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत 1 एस.टी.बी. में पटवार घर एवं भू– अभिलेख निरीक्षक भवन के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा आवंटन आदेश जारी किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना कोई जांच किये मनमाने रूप से विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध प्रभावित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य का अवसर दिये एवं बिना मौका की जांच किये जल्द बाजी में पारित किया गया है जो काबिल खारिजी के है।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने चक 1 एस.टी.बी. के प0 नं0 150/381 मुरब्बा नं. 17 किला नं. 14/.151, 17/.253 है0 कुल 0.404 है0 भूमि नव सृजित ग्राम पंचायत 1 एसटीबी में पटवार घर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भवन को आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन अधिकारी ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कल कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं को सार्वजनिक उपयोग के के अन्य भवन निर्माणार्थ, बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन हेतु) नियम 1963 के तहत अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 6 का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि सरकारी कृषि भूमि नहीं है। आवंटन नियम 1963 में केवल मात्र कृषि भूमि को आवंटन करने का प्रावधान है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 6 के बाड़े बने हुए हैं जिन पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पक्ष में आवासीय पट्टे बने हुए हैं परन्तु चक 1 एसटीबी के खाता संख्या 1 के पत्थर नम्बर 150/381 मुरब्बा नं0 17 किला नं. 1/1, 2/1, 3, 4, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 11, 12, 3, 14 17 की 2.530 है0 भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन त्रुटिवश एवं सहवन से भूमि आबादी भूमि होना रह गया। ग्राम पंचायत लखुवाली को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 6 ने कई बार निवेदन किया राजस्व अभिलेख में अंकन सही करवा दे जिससे हमे अथवा अन्य ग्राम वासीयों को असुविधा का सामना न करना पड़े। भूमि पर पिछले 50 वर्षों से आबादी बसी हुई थी जहां पर आबाद व्यक्तियों के वोट, राशन कार्ड, मकानात बाड़े बने हुए हैं एवं पूर्व में रही ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय पट्टे जारी किय गये है एवं अपीलाण्ट संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.04.1990 को 1655 वर्ग गज आवासीय भूखण्ड पट्टाधारी व्यक्ति शिवभगवान पुत्र सागरमल से खरीद किया हुआ है। प्रश्नगत आवंटन नियमों के तहत केवल खाली आराजी राज कृषि भूमि को ही आवंटन करने का अधिकार है कब्जे की भूमि को आवंटन करने का अधिकार नहीं है। आवंटन अधिकारी ने मौका की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लिये बिना एवं मौका परीक्षण किये बिना उक्त भूमि को खाली भूमि एवं कृषि भूमि मानते हुए अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट वे रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 6 ने ग्राम न्यायालय हनुमानगढ के समक्ष धारा 24 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत आज्ञापक एवं शाश्वत व्यादेश हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है जिसमें मौका पर यथास्थिति का आदेश जारी किया हुआ है जो आज भी प्रभावी है। जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। इस स्थगन का ज्ञान रेस्पोडेण्ट को होने के बावजूद बिना प्रस्ताव दिनांक 21.09.2020 में लम्बित प्रकरण अथवा स्थगन की रिपोर्ट किये आवंटन अधिकारी को मुगालता में रखकर आवंटन आदेश जारी करवाया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये एकतरफा आदेश पारित कर प्रभावित पक्षकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट को एवं पट्टाधारी व्यक्तियों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। पंचायतों द्वारा प्रश्नगत भूमि कीमतन पट्टे जारी किये गये थे एवं अपीलाण्ट संख्या 2 ने भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.04.1990 को खरीद किया हुआ है। ग्राम पंचायत 1 एसवटीबी के सरपंच जो अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 6 से राजनैतिक द्वेषता रखता है ने पद का दुरूपयोग कर गलत तथ्यों पर जानकारी छुपाकर एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं0 3 ता 6 द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में स्थगन आदेश की जानकारी विचारण न्यायालय से छुपाकर आवंटन आदेश जारी करवाया है एवं आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरण भी दर्ज करवा लिया है। अब प्रश्नगत आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहता हैं। प्रश्गनत आरजी में अपीलाण्ट का हित निहित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट द्वारा वर्णित तथ्य कतई गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 1 एस.टी.बी. के प0 नं0 150/381 मुरब्बा नं. 17 [illegible] 14/.151, 17/.253 है0 कुल 0.404 है0 भूमि पटवार [illegible] के निर्माण हेतु आवंटन नहीं की है अपितु पंचाय[illegible] के आवंटित की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्ररूप 1 निष्पा[illegible] होकर पंजीकृत हो चुका है। अपीलाण्ट का यह कथन कतई गत है कि प्रश्नगत भूमि पर आबादी बसी हुई हो बल्कि यह भूमि मौका पर खाली है। अपीलाण्ट की और से प्रस्तुत कथित पट्टे विलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत भूमि के नही है बल्कि चक 5 एल.के. के हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कथित रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.04.1990 में भी भूमि का विशिष्ट विवरण दर्ज नहीं था यह बैयनामा से यह प्रकट नहीं होता कि यह बैयनामा प्रश्नगत भूमि से संबंधित हो। अपीलाण्ट का यह कथन कतई निराधार है कि ग्राम पंचायत 1 एसटीबी के वर्तमान सरपंच का अपीलाण्ट के साथ कोई राजनैतिक द्वेष हो बल्कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्रश्नगत भूमि नियमानुसार ग्रम पंचायत को आवंटित हुई तथा इस आवंटित भूमि पर घोषित उद्देश्य अनुसार पंचायत घर का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। प्रशगनत भूमि रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटन से पूर्व ही आराजीराज भूमि दर्ज रही है तथा आराजीराज भूमि पर किसी पंचायत द्वारा पट्टे जारी नही किये जा सकते। प्रशगनत भूमि कभी भी आबादी भूमि नहीं रही है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट हस्तगत अपील में रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है बल्कि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर लोकहित में पंचायत घर का निर्माण निषिद्ध होने से रेस्पोडेण्ट को अपेक्षाकृत अधिक असुविधा होगी तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य अवरूद्ध होगा। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने रेस्पो0 सं0 1 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 3 ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपील स्वीकार करने का कथन किया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्य 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को ग्रम पंचायत 1 एसआईबी के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने आवंटन अधिकारी को प्रस्ताव तैयार कर पत्र क्रमांक टीआरए/आवंटन/2020/3871 दिनांक 21.09.2020 के साथ आवंटन की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन अधिकारी ने अपीलाधी[illegible] पारित किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि [illegible] 3 ता 6 का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि सरकारी भू[illegible] एवं रेस्पोडेण्ट के पक्ष में आवासीय पट्टे जारी किये गये थे लेकिन राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण एवं सहवन से भूमि आबादी भूमि होना रह गया। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन अधिकारी ने मौका की रिपोर्ट लिये बिना एवं मौका निरीक्षण किये बिना उक्त भूमि को खाली एवं कृषि भूमि मानते हुए अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया है।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी ग्रम पंचायत 1 एसटीबी संवत 2077–2080 में काश्तकार का नाम के कालम में "चालू पड़त या 1 वर्ष से परती" अंकित है। भूमि आवण्टन बाबत चैक लिस्ट उपलब्ध है जिसके बिन्दू संख्या 18 में क्या भूमि पर पूर्व में निर्माण है? के आगे "मौके पर कोई निर्माण नहीं है" अंकित है। तथा बिन्दू संख्या 19 में " यदि भूमि पर अतिक्रमण है तो उसका पूर्ण विवरण" के आगे अंकित है कि "भूमि पर मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है" अंकित है। उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि नहीं है तथा इस पर कोइ निर्माण नहीं है तथा मौके पर कोइ अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूमि पटवार घर एवं भूमि–अभिलेख निरीक्षण भवन के लिए आवंटन की गई है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कथित पट्टे विलेख प्रश्गनत भूमि के नहीं है बल्कि चक 5 एल.के के हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.04.1990 में भी भूमि का विशिष्ट विवरण दर्ज नहीं है तथा इस बैयनामा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह बैयनामा इसी भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि आवंटन से पूर्व आराजीराज दर्ज रही है तथा आराजी राज भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है । फलस्वरूप अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं अपील खारिज किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं अपील खारिज किये जाते है। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आवंटन/आरक्षण/2020/530 दिनांक 23.09.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

20/X/2020

(करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ